

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 12/2026

राम निवास

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग,

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – दीपक कुमार

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय****माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी**

1. अधिवक्ता श्री आकाश सिंह ने विरोधी पक्षकार संख्या 2 के पक्ष से वकालतनामा दाखिल किया है। इसे अभिलेख में ग्रहण किया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री आकाश सिंह को सुना।
3. कथित रूप से जनहित में यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए दायर की गई है:-
"1. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए, न्यायहित में, संबंधित प्राधिकारीगण को ग्राम पंचायत भवन, पोस्ट एवं ब्लॉक- बावन, तहसील- सदर, जिला- हरदोई में, सुरक्षित सीट क्रमावर्तन के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षण विनिश्चित करने का आदेश दिया जाए।"
4. मांगा गया आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (घ) और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1947 की धारा 12(5) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (यदि कोई हों) के संदर्भ में है। यह सक्षम प्राधिकारी का कार्य है, अतः यदि याचिकाकर्ता के पास कोई हेतुक हो तो वह सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।

5. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

13 जनवरी, 2026

आर.के.पी.